



# राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जयपुर

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2385831, Toll Free Help Line 15100)

Email: [ftsrlsa@gmail.com](mailto:ftsrlsa@gmail.com) website: [www.rlsa.gov.in](http://www.rlsa.gov.in)

क्रमांक:— 2002

दिनांक:— 20.05.2022

## ::सूचना/विज्ञप्ति::

नालसा (निःशुल्क एवं सक्षम सेवाएँ) विनियम, 2010 के विनियम 8 के तहत नवीन पैनल अधिवक्ता के गठन के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जयपुर के द्वारा दिनांक 21.06.2021 को सूचना/विज्ञप्ति जारी की गयी थी, लेकिन तत्काल उत्पन्न कोविड-19 के विषम दौर एवं लगभग 11 माह की अवधि व्यतीत हो जाने के कारण निर्देशानुसार दिनांक 21.06.2021 को जारी सूचना/विज्ञप्ति की निरन्तरता में समस्त विधि व्यवसायियों/अधिवक्ताओं से "पैनल अधिवक्ता" के चयन हेतु निम्न प्रकार से आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं—

### पात्रता:—

प्रत्येक विधि व्यवसायी या अधिवक्ता, जो बार काउंसिल से पंजीकृत हो एवं न्यूनतम तीन वर्षों का उच्च न्यायालय में विधि व्यवसायी के रूप में नियमित वकालत का लगातार अनुभव रखता हो।

### नोट:—

1. विधि व्यवसायी से तात्पर्य अधिवक्ता अधिनियम 1961 (1961 का 25 की धारा 2 के खण्ड 'झ') में यथा परिभाषित से है।
2. दाण्डिक एवं किशोर न्याय बोर्ड से संबंधित प्रकरणों के लिए अधिकतम 30, सिविल प्रकरणों के लिए अधिकतम 10, संवैधानिक विधि एवं रिट मामले (सेवा मामलों के अतिरिक्त) के लिए अधिकतम 15, श्रमिक एवं सेवा मामलों के लिए अधिकतम 10, पारिवारिक मामलों के लिए अधिकतम 10 एवं पर्यावरण से संबंधित मामलों के लिए अधिकतम 05 अधिवक्ताओं का पैनल राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जयपुर के द्वारा तैयार किया जाना है।
3. आवेदक द्वारा उच्च न्यायालय स्तर के ऐसे पांच प्रकरणों के निर्णय/आदेशों की प्रतिलिपियां संलग्न करना आवश्यक होगा, जिनमें आवेदक के द्वारा व्यक्तिगत रूप से बहस/पैरवी की गई हो और ऐसा प्रकरण गुणावगुण के आधार पर निर्णित किया गया हो, परन्तु इसके अन्तर्गत—
  - (क) राजीनामे से निस्तारित हुए प्रकरण, जमानत प्रार्थना-पत्रों पर दिए गए आदेश एवं अन्तर्वर्ती आदेशों को समाहित नहीं किया जाएगा।
  - (ख) यदि निर्णय या आदेश में आवेदक के स्थान पर उसके वरिष्ठ अधिवक्ता का नाम अंकित है, तो उस निर्णय या आदेश को संख्या की गणना के प्रयोजन से विचार में नहीं लिया जावेगा।
4. उक्त पैनल एक वर्ष की अवधि के लिए गठित किया जाएगा, जो अधिकतम तीन वर्ष तक नवीनीकृत किया जा सकेगा।


5. पैनल में एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी., एस.बी.सी., महिला और दिव्यांग अधिवक्तागण का यथासंभव आनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा।
6. यदि निर्धारित संख्या से अधिक आवेदक योग्य पाए जाते हैं, तो अनुभव की वरिष्ठता के आधार पर निर्धारित संख्या अनुसार पैनल अधिवक्तागण का चयन किया जाएगा तथा यदि 02 या अधिक आवेदक समान अनुभव रखते हैं तो ऐसी स्थिति में युवा अधिवक्ता को प्राथमिकता दी जावेगी।
7. आवेदक विधिक सेवा प्रदत्त प्रकरणों में पैरवी हेतु स्वयं को उपलब्ध कराएगा और किसी भी ऐसे प्रकरण में पैरवी नहीं करेगा, जिनमें उसके द्वारा विपक्षी पक्षकार को विधिक सहायता प्रदान की गई हो।
8. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा) विनियम, 2010 एवं इस संबंध में राज्य प्राधिकरण के द्वारा बनाए गए विनियम तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों के अनुसार पैनल अधिवक्तागण को मानदेय एवं अन्य खर्चे देय होंगे।
9. आवेदक इस तथ्य की अण्डरटेकिंग देगा कि वह पैनल/रिटेनर अधिवक्ता के रूप में चयनित किए जाने पर विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 एवं उसके तहत बनाये गए नियम, विनियम एवं बनाई गई योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जारी निर्देशों की निष्ठा पूर्वक पालना करेगा। पैनल/रिटेनर अधिवक्ता के रूप में, जो प्रकरण उसे पैरवी के लिए सुपुर्द किए जावेंगे, वह उन संबंधित व्यक्तियों से कोई शुल्क, पारिश्रमिक व अन्य मूल्यवान प्रतिफल की मांग नहीं करेगा और न ही प्राप्त करेगा।
10. विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 एवं उनके तहत बनाए गए नियम, विनियम एवं उनके अंतर्गत बनायी गयी योजनाओं के क्रियान्वयन एवं समय-समय पर जारी निर्देशों एवं शर्तों के अधीन पैनल अधिवक्तागण विधिक सेवाएं प्रदान करेंगे।
11. यदि नियुक्त पैनल अधिवक्ता के द्वारा संतोषजनक कार्य नहीं किया जाता है या उसके द्वारा अधिनियम और विनियम के उद्देश्य और भावना के प्रतिकूल कोई कार्य किया जाता है, तो उससे उसको सौंपा गया कार्य/मामला वापस लिया जा सकेगा और साथ ही किसी भी समय बिना नोटिस दिए उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी और उसके प्रति कोई आपत्ति भी स्वीकार नहीं की जाएगी।
12. नियुक्त पैनल अधिवक्ता को प्राधिकरण/समिति के द्वारा तैयार किए गए मॉड्यूल के अनुसार समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना आवश्यक रहेगा।
13. आवेदन के साथ अनुभव प्रमाण-पत्र एवं अन्य दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक है।

इच्छुक आवेदक ऑनलाईन लिंक <https://forms.gle/ym6MkTBJbJtcq4RZA> पर आवेदन पत्र भरकर उसकी समान हार्ड कॉपी मय आवश्यक दस्तावेज (1. बार कॉउंसिल द्वारा जारी सनद की प्रति 2. अनुभव प्रमाण-पत्र, 3. पांच प्रकरणों के निर्णय/अन्तिम आदेशों की प्रतिलिपि, जिनमें आवेदक द्वारा व्यक्तिगत रूप से बहस की गई हो 4. यदि आवेदक एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी., एस.बी.सी. या दिव्यांग श्रेणी में आवेदन प्रस्तुत करना चाहता है, तो संबंधित श्रेणी हेतु उचित प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र 5. जन्म दिनांक प्रमाण 6. अन्य उचित

दस्तावेज) व्यक्तिशः अथवा डाक के माध्यम से समिति, जयपुर के कार्यालय में दिनांक 04.06.2022 को सायं 5:00 बजे तक प्रस्तुत करना होगा तथा उक्त तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को विचारार्थ उपयुक्त नहीं माना जाएगा।

नोट: जिन आवेदकों के द्वारा दिनांक 21.06.2021 की विज्ञप्ति के तहत आवेदन कर रखा है, उन आवेदकों को विकल्प दिया जाता है कि—

1. यदि आवेदक अपने पूर्व में भरे गये आवेदन को ही रखना चाहते हैं तो वे इस आशय की सूचना समिति, जयपुर को जरिये ई-मेल/डाक/व्यक्तिगत रूप से पत्र देकर कर सकते हैं तो ऐसी स्थिति में उनके द्वारा पूर्व में भरे गये आवेदन व दस्तावेजों को विचार में लिया जावेगा।
2. यदि आवेदक उपर्युक्त बिन्दु संख्या 03 के अनुसरण में पूर्व में प्रस्तुत निर्णयों/आदेशों की प्रतिलिपियों के अतिरिक्त कोई अन्य निर्णय/आदेशों की प्रतिलिपियां प्रस्तुत करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में उनके द्वारा नवीन आवेदन प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।


आज्ञा से  
  
20/05/2022  
(अनुतोष गुप्ता)  
सचिव  
राजस्थान उच्च न्यायालय  
विधिक सेवा समिति, जयपुर

क्रमांक: 2003-2014

दिनांक:20.05.2022

प्रतिलिपि:— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जयपुर।
2. रजिस्ट्रार जनरल महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
3. सदस्य सचिव महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
4. रजिस्ट्रार कम सी.पी.सी. महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार (न्यायिक) महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर।
6. निदेशक महोदय/संयुक्त सचिव महोदय/विशेष सचिव (मिडियेशन & आर्बिट्रेशन) महोदय/उप सचिव-प्रथम/उप सचिव-द्वितीय/उप सचिव (AP& ADR) राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
7. सचिव महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जोधपुर।
8. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ-राजस्थान उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन, जयपुर।
9. सदस्य, मॉनिटरिंग एण्ड परामर्शदात्री समिति, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जयपुर।
10. नोटिस बोर्ड, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर/राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण।
11. वेबसाइट, राजस्थान उच्च न्यायालय/रालसा।
12. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।

  
सचिव 20/05/2022  
राजस्थान उच्च न्यायालय  
विधिक सेवा समिति, जयपुर